JODHPUR VIDUT VITRAN NIGAM LIMITED

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे. 1903 दि. 30.03.17

आदेश

विषय – विद्युत संबंध के नाम परिवर्तन के मामले में ली जाने वाली राशि के संबंध में।

विद्युत आपूर्ति हेतु शर्तें एवं निबंधन–2004 के प्रावधानों के अनुसार यदि वास्तविक विक्रय या विरासत द्वारा संपति का अंतरण, उपहार या कंपनी के परिसमापन (Liquidation) के कारण स्वामित्व में कोई परिवर्तन है तो निगम द्वारा एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता को कनेक्शन का अंतरण (Transfer) अनुमत कर दिया जाएगा। निगम द्वारा औपचारिक स्वीकृति दिये जाने से पूर्व उपभोक्ता उस सेवा के प्रति समस्त बकाया राशि का भुगतान करेगा तथा इस संबंध में प्रचलित प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूति जमा कराएगा।

प्रायः यह देखने में आया है कि क्षेत्रीय अधिकारी नाम परिवर्तन के मामलों में भिन्न–भिन्न राशि वसूल रहे है। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि नाम परिवर्तन के मामले में विद्युत आपूर्ति हेतु शर्तें एवं निबंधन–2004 के अनुसार वास्तविक विक्रय के मामलों में पात्र आवेदकों से उस विद्युत संबंध के विरूद्ध बकाया राशि एवं धरोहर राशि (कृषि कनेक्शनों के मामलों में रू. 15 प्रति एच.पी./माह–2 माह के लिये), वसूलनीय है एवं विरासत द्वारा संपति के अंतरण के मामलों में केवल परिसर के अनुसमर्थन के आवश्यक विधि प्रलेख प्रस्तुत करना होगा एवं कोई अन्य राशि देय नहीं है। यदि किसी मामले में कोई अतिरिक्त धरोहर राशि एवं अन्य राशि यदि वसूली गई है तो उसे तुरंत प्रभाव से आवेदकों के आगामी बिलों में समायोजित किया जावे।

आज्ञा से

30/3/17

(एम. आर. मीणा)
अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर